



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276779
CG-DL-E-05102026-276779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 587]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2026

फा.सं. 1(2)2004/एसी/एमसी/डीडीए/पार्ट.— एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/5/2009--डीडीआईए दिनांक 03 सितंबर, 2026 द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(बी) के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में प्रो. पी.एस.एन. राव के स्थान पर डॉ. वीरेन्द्र कुमार पॉल एवं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एफ) के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में श्री अंशुमन मैगजीन के स्थान पर श्री पुनीत कौरा, अध्यक्ष सीआईआई, नॉर्दन रीजन काउंसिल को मनोनीत किया जाता है।

सुरेंद्र कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./356/2026-27]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2026

F. No. 1(2)2004/AC/MC/DDA/Pt..— It is hereby notified that the Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India vide letter no. K-11011/5/2009-DDIA dated 03rd September, 2026 has nominated Dr. Virendra Kumar Paul, Director of School of Planning and Architecture as Member of Advisory Council of Delhi Development Authority under Section 5(2)(b) of Delhi Development Act, 1957 in place of Prof. P. S. N. Rao and Shri Puneet Kaura, Chairperson, CII, Northern Region Council as Member of Advisory Council of Delhi Development Authority under Section 5(2)(f) of Delhi Development Act, 1957 in place of Shri Anshuman Magazine.

SURENDRA KUMAR MEENA, Commissioner-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./356/2026-27]